आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 865 /इंदौर/2019
निर्धारण वर्ष : 2014-15

आयकर अधिकारी 4 (5), इंदौर	बनाम	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, प्रो. मे. विश्वेश्वर इंटरप्राईजेस, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीएचपीए 2534 एम		

राजस्व की ओर से	:	श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
निर्धारिती की ओर से	:	श्री प्रणव गोयल, सीए
सुनवाई तिथि	:	09.12.2021
उद्घोषणा तिथि	:	13.12.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित राजस्व की उपरोक्त शीर्षक की यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 04.06.2019 के विरूद्ध अपीलों के आधार में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 04.12.2021 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए “विवाद से विश्वास योजना,2020” के तहत आवेदन किया है तथा विभाग द्वारा फार्म सं. 3

जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने अपेक्षित करों का भुगतान कर दिया है तथा विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 5 जारी किया गया है अतः विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दाखिल अपील को वापिस लिया गया माना जाए । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

3. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि निर्धारिती ने विवाद से विश्वास योजना, 2020 में भाग लिया है और अतः इस अपील को वापिस लिए जाने हेतु अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा विभागीय अपील को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते है ।

4. परिणामतः, विभागीय अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 13.12.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उदघोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 13.12.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल